मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी–5 / 2 / MIRN / 2017–18 / 741 भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2017

प्रति,

अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

विषयः–भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना क्रियान्वयन अंतर्गत आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग करने संबंधी।

–0–

दिनांक 10 जुलाई 2017 को Joint Secretary (Marketing), DAC & FW की अध्यक्षता में नई दिल्ली से सम्पन्न भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना क्रियान्वयन की वीडियो कान्फ्रेंस समीक्षा बैठक में भारत सरकार के द्वारा निम्नानुसार योजना का क्रियान्वयन कराने की अपेक्षा की गई है :–

(01) मण्डी समितियों के द्वारा दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग के दौरान हो जाने वाली त्रुटियों पर त्वरित रुप से सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

(02) दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस में उसी दिन यथा 24 घंटे के अंदर नियमित रुप से भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करावें।

(03) आवश्यक वस्तुओं जैसे दलहन (अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर), तिलहन (मूंगफली, सरसों, सोयाबीन) एवं सब्जी (आलू, प्याज, टमाटर) की आवक एवं भाव की जानकारी को नियमित रुप से प्रतिदिन दर्ज करने एवं मॉनिटर करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(04) Commodities reported with NR (Not Reported) in arrival, need to be checked की कार्यवाही दैनिक रुप से करना सुनिश्चित करावें।

(05) दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग करते समय जिन्स के नाम का चयन करने के उपरांत वेरायटी का उल्लेख अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित करावें अर्थात वेरायटी में "Others" का उल्लेख नहीं किया जाये।

(06) मण्डियों का यह दायित्व होगा कि भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा रिपोर्टिंग करने के पूर्व जांच कर यह सुनिश्चित कर लेवें की जिन्स के दैनिक आवक एवं न्यूनतम भाव, उच्चतम भाव, मॉडल भाव की दर्ज की गई जानकारी में कोई त्रुटि अथवा विसंगति तो नहीं है।

(07) यदि किसी कार्य दिवस में मण्डी के दैनिक मॉडल भाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम होना पाया जाता है तो आवश्यक रुप से इसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करावें।

(08) मण्डी समिति के सूचना पटल/डिस्प्ले बोर्ड यथा उपयुक्त स्थानों पर जिन्स के समर्थन मूल्य एवं दैनिक रुप से जिन्सों के प्रचलित न्यूनतम भाव, उच्चतम भाव एवं मॉडल भाव की जानकारी अनिवार्य रुप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करावें।

(09) मण्डी सचिव ऐसी समस्त जिन्सों जो कि किसी भी मात्रा में मण्डी में आई हो, की आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग नियमित रुप से प्रति कार्य दिवस भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर करना सुनिश्चित करावें।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना का कियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–5/2/MIRN/2017–18/742
भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2017

<u>प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

(01) संयुक्त सचिव (विपणन) सह कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, एन0एच0 -IV फरिदाबाद।

(02) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(03) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक सह एगमार्कनेट योजना समन्वयक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार, स्थानीय कार्यालय 245, द्वितीय तल, महाराणा प्रताप नगर, जोन–2 भोपाल।

(05) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (म0प्र0) :– उपरोक्तानुसार निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल